न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 83/2022 तारीख रजू:– 09.05.2022

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. केदार पुत्र पतराम 2. कल्ला पुत्र पतराम 3. गोरधन पुत्र पतराम 4. गिरदेश पुत्री पतराम 5. रामपति बेवा पतराम	सभी जाति जाट, निवासी–खेड़ीहैवत, तहसील–सूरौठ, जिला–करौली ————————————सायलान

बनाम

1. सोहनसिंह पुत्र दरयाब 2. जितेन्द्र पुत्र विजयसिंह 3. राजेश पुत्र रमेश 4. रघुवीर पुत्र रमेश 5. भूदेव पुत्र राजपाल 6. फतेहसिंह पुत्र राजपाल	समस्त जाति जाट, निवासी–खेडीहैवत तहसील–सूरौठ, जिला–करौली ————————————गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री पी. एल. गोयल एडवोकेट सायलान

निर्णय

दिनांक :–13.01.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद 01 में दर्ज किया है कि उपरोक्त उनवानी दावा हाजा सायलान की ओर से गैरसायलान के विरुद्ध बावत् स्थायी निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय में मजबूत आधारों पर पेश कर दिया है, जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूर्ण उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद 02 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 1575, रकवा 40 ऐयर, खसरा नम्बर 1707, रकवा 61 ऐयर, खसरा नम्बर 1708, रकवा 52 ऐयर, कुल किता 3, कुल रकवा 1.53 है० स्थित ग्राम खेडीहैवत, तहसील सूरौठ स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद 03 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र सायलान की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात है, जिससे गैरसायलान या अन्य किसी व्यक्ति का कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद 04 में दर्ज किया है कि सायलान आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र पर संयुक्त रूप से काबिज व दखील होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा सायलान की आराजीयात के पास ही गैरसायलान की काश्त की भूमि है। जिसके कारण गैरसायलान की नीयत हमेशा ही सायलान की आराजीयात की भूमि को हड़पने की रही है, क्योंकि सायलान गरीब काश्तकार पेशा व्यक्ति हैं तथा गैरसायलान पैसे वाले, लडाकू व मुठमर्द व्यक्ति हैं। जो आए दिन गरीब काश्तकार लोगों की भूमियों को हड़पने के प्रयास में रहते हैं और इसी उद्देश्य से व सायलान की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र पर कब्जा करने की फिराक में आए दिन सायलान को हैरान व परेशान करते रहते हैं।

प्रार्थना पत्र के मद 05 में दर्ज किया है कि सायलान द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1575, रकवा 40 ऐयर का सीमाज्ञान कराने हेतु प्रार्थना पत्र देने पर दिनांक 22.06.2021 को पटवारी हल्का के मौके पर आने पर गैरसायलान ने सायलान को धमकी दी कि तेरी उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करेंगे। सायलान के मना करने पर गैरसायलान आमादा फसाद हो गये, जिस पर सायल कल्लाराम ने गैरसायलान के विरुद्ध श्रीमान के यहां धारा 107, 116 (3) व 151 जा०फौ० के तहत दिनांक 28.06.2021 को इस्तगासा पेश किया। जिसे जांच हेतु थाना हाजा पर भेज दिया गया, जिसके कारण गैरसायलान, सायलान से रंजिश रखते चले आ रहे हैं। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्ट्या केस बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद 06 में दर्ज किया है कि वाका दिनांक 03.05.2022 को दिन के 10 बजे का है। सायलान अपनी आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र में आगामी फसल की बुवाई हेतु साफसफाई कर रहे थे तो इतने में गैरसायलान मौके पर आ गये और सायलान से कहा कि यहां से भाग जाओ, इस जमीन पर हम कब्जा करेंगे तो सायलान ने कहा कि ये जमीन तो हमारी खातेदारी में है, तुम्हारा इस जमीन से क्या लेनादेना तो इस पर सभी गैरसायलान एकदम नाराज हो गये और कहा कि जमीन पर आये तो तुम्हारे हाथ–पांव तोड़ देंगे और जमीन पर हम कब्जा करके रहेंगे, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुमसे बने सो कर लेना। गैरसायलान समझाने पर भी मानने को तैयार नहीं हैं। अगर गैरसायलान अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो सायलान को

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अकथनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति इन टर्मस ऑफ मनी संभव नहीं हो सकेगी तथा सुविधा का संतुलन भी सायलान के हक में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को दौराने वाद इस अम्र की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि गैरसायलान, सायलान की आराजीयात खसरा नम्बर 1575, रकवा 40 ऐयर, खसरा नम्बर 1707, रकवा 61 ऐयर, खसरा नम्बर 1708, रकवा 52 ऐयर, कुल किता 3, कुल रकवा 1.53 है० स्थित ग्राम खेडीहैवत, तहसील सूरौठ में सायलान के कब्जेकाश्त में कोई मजाहमत, मदाखलत ना तो स्वयं पैदा करें, ना किसी अन्य से करावें तथा सायलान की उपरोक्त आराजीयात पर जबरन लट्ठ के बल पर कब्जा ना तो स्वयं करें, ना ही किसी अन्य से करावें तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करें, जिससे सायलान को उक्त आराजीयात में उनके हक हकूकों को कोई क्षति किसी प्रकार की पहुंचे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 06.06.2022 को गैरसायल सं0 1,3,4,5,6 की ओर से श्री मुरारीलाल करसौलिया एडवोकेट ने उपस्थित होकर उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया। दिनांक 15.09.2025 को गैरसायलान व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए इसलिए गैरसायलान के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 पेश की है।

वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2073–77 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1575 रकबा 0.40 है0, 1707 रकबा 0.61 है0, 1708 रकबा 0.52 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.53 है0 वाके ग्राम खेडीहैवत तहसील सूरौठ की खातेदारी केदार पुत्र पतराम हि0 1/20, केदार पुत्र पतराम हि0 1/4, कल्ला पुत्र पतराम हि0 1/4, गिरदेश पुत्री पतराम हि0 1/20, गोरधन पुत्र पतराम हि0 1/4, रामपति पत्नि स्व0 पतराम हि0 1/20 जाति जाट सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1575 रकबा 0.40 है0, 1707 रकबा 0.61 है0, 1708 रकबा 0.52 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.53 है0 वाके ग्राम खेडीहैवत तहसील सूरौठ के सायलान खातेदार काश्तकार है। जिससे गैरसायलान का कोई सम्बन्ध या बास्ता किसी प्रकार का होना मुताविक राजस्व रिकार्ड साबित नहीं होता है। सायलान उक्त विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार होने के कारण दावे के निर्णय तक गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में साबित है। यदि गैरसायलान को दावे के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो सायलान के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। पक्षकारान के अधिकार दावे में सुरक्षित हैं। इसलिए दावे के निर्णय तक उक्त विवादित आराजीयात के मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है कि जिससे पक्षकारों के मध्य और आपसी विवाद व मुकदमेबाजी नहीं बढे। ऐसी स्थिति सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 1575 रकबा 0.40 है0, 1707 रकबा 0.61 है0, 1708 रकबा 0.52 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.53 है0 वाके ग्राम खेडीहैवत तहसील सूरौठ के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.1.26

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी